भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2087
बुधवार, 19 मार्च, 2025 (28 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

2087 श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (एमएससीएस) के पंजीयक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक उक्त पहल की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना से एमएससीएस के सदस्यों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों (आरसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रायोजित परियोजना शुरू की है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

जहां तक बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध है, उनका विनियमन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 नामक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के कार्यालय द्वारा होता है । सीआरसीएस कार्यालय का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है और केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय के लिए पोर्टल अर्थात्, www.crcs.gov.in का सफलतापूर्वक विकास करके दिनांक 06 अगस्त, 2023 को लॉन्च कर दिया गया है । इस पहल का लक्ष्य सीआरसीएस के कार्यालय को डिजिटलीकृत कर कागज-रहित बनाना है ।

(ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण मंत्रालय की अंब्रेला परियोजना "आईटी इंटरवेंशंस द्वारा सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" का एक हिस्सा है । इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सहकारी समितियों का सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के साथ पारदर्शी और कागज-रहित कार्य के लिए एक डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप होगा।

आज तक 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (केरल को छोड़कर) ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है और मंत्रालय द्वारा 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है । आज तक, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 18.22 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि जारी की गई है ।

(ग): सीआरसीएस कार्यालय के कंप्यूटरीकरण से सीआरसीएस कार्यालय के सभी कार्य, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण, उपविधियों का संशोधन, वार्षिक विवरणी दाखिल करना, शाखा खोलना, विक्रय अधिकारी की नियुक्ति, सहकारी शिक्षा निधि (CEF) तथा सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास फंड (CRDF) में ऑनलाइन भुगतान, आदि इस नए पोर्टल के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सांविधिक अपेक्षानुरूप प्रोसेस की जा रही हैं । इससे देश भर में फैली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि हुई है ।

*****